रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D (D.N.) 127

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 374] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई, 10, 1987/आषाढ़ 19, 1909
No. 374] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 10, 1987/ASADHA 19, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

**Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation**

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 1987

अधिसूचना

सं. 182/87—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 655 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की अनुसूची के अंतर्गत आने वाले ऐसे

सभी माल को जो खानों की प्रसीमाओं के भीतर स्थित कर्मशालाओं में विनिर्मित किए गए हैं और जिनका उपयोग खानों में प्रयुक्त मशीनरी की मरम्मत या अनुरक्षण के लिए भी आशयित हैं, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती हैं ।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "खानों" का वही अर्थ होगा जो खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 2 के खंड (ञ) में हैं ।

[फा. सं. 354/26/87-टी आर यू]

सी. पी. श्रीवास्तव, अवर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 10th July, 1987

## NOTIFICATION

No. 182|87-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 655(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts all goods, falling under the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986); which are manufactured in workshops situated within the precincts of mines and also are intended for use in the repair or maintenance of machinery used in mines, from the whole of the duty of excise leviable thereon which is specified in the said Schedule.

Explanation.—For the purposes of this notification, "mines" shall have the same meaning as in clause (j) of section 2 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952).

[F. No. 354|26|87-TRU]

C. P. SRIVASTAVA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1987